न्यायालय : सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 152/2019

अनवान :

1. प्रहलाद पुत्र रामपत जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सतवीर पुत्र रामपत जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. रामपत पुत्र केसुराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजबाला पुत्री रामपत जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. चन्द्रो पुत्री रामपत जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. मीरा पुत्री इन्द्रा पुत्री रामपत जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. शकुन्तला पुत्री इन्द्रा पुत्री रामपत जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री भानूप्रताप सिंह **: वादीगण**

वकील श्री राजेन्द्र सहारण **: प्रतिवादी सं0 1, 2, 4, 5**

वकील श्री अमरजीत बैनीवाल **: प्रतिवादीया सं0 3**

दिनांक : 11-3-2020

निर्णय

संक्षेप में दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा शिवदानपुरा तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 43/46 के खसरा सं0 41 की 5.0210 है0 खसरा सं0 102 की 12.2790 है0 खसरा सं0 123 की 5.6280 है0 खसरा सं0 182 की 0.759 है0 कुल 23.6870 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रामपत का 4/9 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दू मिताक्षरा पद्धति से शासित हो[illegible] वादभूमि पहले वादीगण के दादा केसुराम की खातेदारी हुआ करती थी। केसुराम के देहान्त हो[illegible] वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 व प्रतिवादी[illegible] इन्द्रा को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन मिली थी, परन्तु प्रतिवादी [illegible] खानदान होने के चलते उक्त वादभूमि का विरासतन इन्तकाल तन्हा अप[illegible] नाम से दर्ज करवा लि[illegible] प्रकार वादभूमि वादी की [illegible] पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म[illegible] व अधिकार निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:44:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

वाद भूमि की बाबत वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 का पारिवारिक सैटलमेंट हो चुका है जिसमें प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 ने वादभूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था उसे वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर दिया जिस पर कुल वादभूमि जो प्रतिवादी रामपत के नाम से दर्ज है वह वादीगण एवं प्रतिवादी रामपत के नाम से दर्ज है वह वादीगण एवं प्रतिवादी को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी तथा इसी अनुसार वादभूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 की कब्जा काश्त चली आ रही है। प्रतिवादीगण सं0 2 ता 5 ने अपना हक हिस्सा शुन्य कर दिया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1, 2, 4 व 5 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 3 ने जबाबदावा पेश कर कथन किया कि प्रतिवादिया चन्द्रो ने वाद भूमि में अपना हक हिस्सा किसी के पक्ष में तर्क नहीं किया है प्रतिवादीया चन्द्रो का वाद भूमि में 4/54 हिस्सा है जो यथावत् रखा जावे। प्रतिवादी सं0 6 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादीगण में वादी सतवीर के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यापित प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम शिवदानपुरा खाता सं0 43/46 सम्वत् 2072 से 75 प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम शिवदानपुरा सम्वत् 2048 प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि पहले वादीगण के दादा केसुराम की खातेदारी हुआ करती थी। वाद भूमि विरासतन प्रतिवादी सं0 1 को प्राप्त हुई है। वाद भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने ग्राम शिवदानपुरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा में वाद कृषि भूमि दादालाई कृषि भूमि होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादीगण ने फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम शिवदानपुरा सम्वत् 2048 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद भूमि वादी के दादा केशुराम वल्द हुक्माराम के नाम दर्ज है जिससे वाद कृषि भूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना अंकित है। प्रतिवादीया सं0 2, 4 व 5 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है जिसे उन्होने राजीनामा में स्वीकार किया है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 में रामपत के वारिसान में दो पुत्र प्रहलाद, सतवीर एवं तीन पुत्रियां राजबाला, चन्द्रो मौजूद होना व इन्द्रा फौत होना जिसके वारिसान में दो पुत्रियां मीरा व शकुन्तला होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शिवदानपुरा [illegible] खाता सं0 43/46 के खसरा सं0 41 की 5.0210 है0 खसरा सं0 102 [illegible] 2.2[illegible] है0 खसरा सं0 123 की 5.6280 है0 खसरा सं0 182 की 0.759 है0 [illegible] खातेदारी में प्रतिवादी रामपत का 4/9 हिस्सा [illegible] प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 तीनों 10/27 हिस्सा के ब[illegible]ा बराबर व प्रतिवादीया सं0 3 चन्द्रो 2/27 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2, 4 व 5 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:44:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के नाम 10/27 बहिस्सा बराबर व प्रतिवादीया सं0 3 चन्द्रो के नाम 2/27 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11-3-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश जाखेड़)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:44:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 152/2019

अनवान :

1. प्रहलाद पुत्र रामपत जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. सतवीर पुत्र रामपत जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादीगण

बनाम

1. रामपत पुत्र केसुराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राजबाला पुत्री रामपत जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. चन्द्रो पुत्री रामपत जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. मीरा पुत्री इन्द्रा पुत्री रामपत जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. शकुन्तला पुत्री इन्द्रा पुत्री रामपत जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री भानूप्रताप सिंह एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1, 2, 4, व 5 श्री राजेन्द्र सहारण व वकील प्रतिवादीया सं0 3 श्री अमरजीत बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शिवदानपुरा तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 43/46 के खसरा सं0 41 की 5.0210 है0 खसरा सं0 102 की 12.2790 है0 खसरा सं0 123 की 5.6280 है0 खसरा सं0 182 की 0.759 है0 कुल 23.6870 है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी रामपत का 4/9 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 तीनों 10/27 हिस्सा के बहिस्सा बराबर व प्रतिवादीया सं0 3 चन्द्रो 2/27 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2, 4 व 5 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के नाम 10/27 बहिस्सा बराबर व प्रतिवादीया सं0 3 [illegible] हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना [illegible] करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...11-3-2020... को [illegible] हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:44:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
(मुकेश बारैठ) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner